संख्या-109/2023/694/23-9-23/001-23-9002-002-18-2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2023

विषय -वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के अधीन पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 28 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के अधीन पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित विभिन्न जनपदों के कुल 28 नये कार्यों हेतु कुल लागत रू0 6,09,06,000/- (रूपये छः करोड़ नौ लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 1,40,17,000/-(रूपये एक करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्र सं0 एवं दिनांक	जनपद	मार्ग का नाम	लम्बाई/स्पान (किमी0/मी0 में)	लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	213 / (47-V) / समग्र वृत्त2022-23 , दिनांक 31-01-2023	प्रतापगढ़	पंचायत भवन से ताला सरिस्ता से जय प्रताप सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग।	0.700	42.43	9.76
2	213 / (47-V) / समग्र वृत्त2022-23 , दिनांक 31-01-2023	प्रतापगढ़	मोहद्दीनगर बलीपुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	0.250	25.68	5.91
3	213 / (47-V) / समग्र वृत्त2022-23 , दिनांक 31-01-2023	प्रतापगढ़	बेंती गोतनी मार्ग से सहावपुर वाया कुरावं बाग सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	0.300	25.35	5.83
4	213 / (47-V) / समग्र वृत्त2022-23 , दिनांक 31-01-2023	प्रयागराज	नन्दौत(नयाब) का पुरा समपर्क मार्ग के निर्माण का कार्य।	0.950	66.97	15.40
5	213 / (47-V) / समग्र वृत्त2022-23 , दिनांक 31-01-2023	शाहजहांपुर	ग्राम महोलिया से दिउरिया के बीच 1 गुणे 5 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया का निर्माण कार्य।	0.010	39.95	9.19
6	213 / (47-V) / समग्र वृत्त2022-23 , दिनांक 31-01-2023	शाहजहांपुर	मरैना सम्पर्क मार्ग पर 1 गुणे 5 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया का निर्माण कार्य।	0.010	39.89	9.17
7	213 / (47-V) / समग्र वृत्त2022-23 , दिनांक 31-01-2023	आजमगढ़	जमुआ सागर कम्हारपुर सहदापार रजवाडे पर पुल का निर्माण कार्य।	0.070	29.09	6.69
8	213 / (47-V) / समग्र वृत्त2022-23 , दिनांक 31-01-2023	आजमगढ़	ग्राम पंचायत ध्यानीपुर में शेषभान के घर के बगल बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	0.300	22.58	5.19
9	214 / (76-III) / समग्र वृत्त 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	जसोदा जसपुरा सरैया से सगरा जिला जेल तक सम्पर्क मार्ग(चैनेज 1.300) पर पुलिया का	0.010	2.55	0.59

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्र सं0 एवं दिनांक	जनपद	मार्ग का नाम	लम्बाई/स्पान (किमी0/मी0 में)	लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			निर्माण कार्य।			
10	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	जसोदा जसपुरा सरैया से सगरा जिला जेल तक सम्पर्क मार्ग(चैनेज 1.700) पर पुलिया का निर्माण कार्य।	0.010	2.55	0.59
11	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	जसोदा जसपुरा सरैया से सगरा जिला जेल तक सम्पर्क मार्ग(चैनेज 3.00) पर पुलिया का निर्माण कार्य।	0.010	2.55	0.59
12	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	जसोदा जसपुरा सरैया से सगरा जिला जेल तक सम्पर्क मार्ग(चैनेज 3.900) पर पुलिया का निर्माण कार्य।	0.010	2.55	0.59
13	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	राजकीय डिग्री कालेज बहेलियनपुरवा से नवोदय विद्यालय होते हुये यादव नगर सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य।	0.010	3.28	0.75
14	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	संयोगिता मार्ग से महमूदपुर मार्ग(चैनेज 0.50) पर पुलिया का निर्माण कार्य।	0.010	3.29	0.76
15	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	भिदासिन से खिरवा सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य।	0.010	3.29	0.76
16	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	गुलरियनपुर्वा से अल्लहपुर रम्मपुर्वा सम्पर्क मार्ग(चैनेज 0.60) के कि0मी0 2 में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	0.020	20.09	4.62
17	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	गुलरियनपुर्वा से अल्लहपुर रम्मपुर्वा सम्पर्क मार्ग(चैनेज 0.90) के कि0मी0 2 में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	0.020	20.09	4.62
18	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	गुलरियनपुर्वा से अल्लहपुर रम्मपुर्वा सम्पर्क मार्ग(चैनेज 1.40) के कि0मी0 2 में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	0.02	20.09	4.62
19	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	संयोगिता मार्ग से समरौली मार्ग(चैनेज 0.40) पर पुलिया का निर्माण कार्य।	0.020	20.09	4.62
20	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	संयोगिता मार्ग से महमूदपुर मार्ग(चैनेज 0.70) पर पुलिया का निर्माण कार्य।	0.020	20.09	4.62
21	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	संयोगिता मार्ग से महमूदपुर मार्ग(चैनेज 1.20) पर पुलिया का निर्माण कार्य।	0.020	20.09	4.62
22	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	जी0टी0 मार्ग जिला अस्पताल से पट्टीपुर्वा, बहादुरपुर, मन्नापुवां होते हुये ऋतुकला मार्ग के कि0मी0 2 में आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	0.020	22.66	5.21
23	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	कन्नौज	वाहिदपुर उईदापुर छौछापुर में पुलियाका निर्माण का कार्य।	0.150	8.34	1.92
24	214 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 31.01.2023	फर्रूखाबाद	एफ0जी0 रोड से भोजपुर मार्ग पर 1 गुणे 5 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	0.030	27.03	6.22
25	239 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 01.02.2023	कानपुर देहात	सन्दलपुर ब्लाक धरिया का 5.00 मी0 स्पान पुल निर्माण जिगना धरियापुरवा तक।	5 m	35.54	8.17
26	239 / (76-III) / समग्र वृत्त/ 2022-23 , दि0 01.02.2023	कानपुर देहात	ललपुरवा, जजमुइया मार्ग पर 1 गुणे 2 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	0.100	14.62	3.36
27	515 / (47-V) / समग्र वृत्त	प्रयागराज	प्रयागराज लखनऊ मार्ग के बाईपास से सम्हई	0.500	30.52	7.02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्र सं0 एवं दिनांक	जनपद	मार्ग का नाम	लम्बाई/स्पान (किमी0/मी0 में)	लागत	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
	2022-23 , दि0 27.02.2023		सम्पर्क मार्ग।			
28	515 / (47-V) / समग्र वृत्त 2022-23 , दि0 27.02.2023	अयोध्या	पचरूखवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	0.500	37.81	8.78
			योग		**609.06**	**140.17**

(1) प्रश्नगत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा समक्ष स्तर से तनकीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्यों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा)अनु02 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग की प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा0 विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(9) प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के ससमय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासकीय विभाग का होगा।

(11) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्त प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है तो उसके निरस्तीकरण का प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई बसावट पूर्व से ही किसी मार्ग से जुड़ा हुआ है तो उस पर द्विरावृत्ति का कार्य होता है तो उसकी वसूली संबंधित अधिकारी से की जायेगी।

(13) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अत: प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(14) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(15) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-23/2022/बी-1-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04 नवम्बर, 2022 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,40,17,000 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043379900 पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-856-X-2022-23, दिनांक- 28-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।